

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)

डॉ.प्रतिभा (आर.ए.एस.).....

अलाउदीन पुत्र मोहम्मद युसुफ उम्र 60 साल जाति चेजारा निवासी वार्ड नं. 11 मोहल्ला
चेजारान फतेहपुर जिला सीकर राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार साहब, फतेहपुर सीकर राजस्थान ।
2. जिला कलेक्टर महोदय सीकर राजस्थान ।
3. दाउद उम्र
4. आरिफ उम्र पुत्रगण मोहम्मद युसुफ समस्त जाति चैजारा निवासीगण वार्ड नं. 40 मोहल्ला चेजारान फतेहपुर सीकर राजस्थान ।
5. जमीला
6. साबीरा
7. हुसना
8. मुख्तार
9. मोबीना पुत्रीगण मोहम्मद युसुफ समस्त जाति चेजारा निवासीगण वार्ड नं. 40 मोहल्ला चेजारान फतेहपुर सीकर राजस्थान ।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्त करवाने नाम व उदघोषणा



अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मुकद्दमा नं. 57.....सन्. 2018.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू..... मेरे.....

व हाजिरी...श्री इफ्तेदार नजमी एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दई रुबरू.....श्री नोपतराय मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 360 पुराना व नया 543 में वादी की माता का नाम रुकमणी धर्मपति मोहम्मद युसुफ के स्थान पर रुकीया पति मोहम्मद युसुफ उदघोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

निज.....-मुबलिग.....-बाबत.....-

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.....-फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख07...माहअप्रैल.....सन् 2021 को जारी की गई।



दस्तखत.....

ओहदा.....

(श्री. गलिभा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मुद्दे	रुपया	पैसा	मुद्दयलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			1	

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

